CULTURAL EXCHANGE PROGRAMME
BETWEEN

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA

AND
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SURINAME

The Government of the Republic of India and the Government of the Republic of Suriname (hereinafter jointly referred to as the "Parties" and separately as a "Party");

RECALLING of the implementation of the Cultural Agreement signed between the Parties at Paramaribo on the 22nd of September, 1992; and

DESIRING to strengthen the friendly links between the Parties so as to deepen cultural relations between them;

Have agreed as follows:

Article 1

Music and Dance

The Parties shall exchange music and dance ensembles and/or individual performing artists including classical and folk troupes for a period not exceeding 10 days each. Dates and other details of such exchange will be mutually agreed upon by the Parties through diplomatic channels.

Article 2

Theatre

a) Both Parties shall encourage and facilitate exchange of theatre performances in both countries and to participate in local and International theatre festivals on mutually agreed terms.

b) Both Parties shall exchange theatre journals and publications on a reciprocal basis between the two countries on mutually agreed terms.

Article 3

Exhibitions, Seminars and Conference

a) The Parties shall exchange contemporary and modern art exhibitions between the two countries on reciprocal basis on mutually agreed terms.

b) Both Parties will invite experts from the other side to participate in International seminars, symposiums, conferences, camps, residencies etc. on culture and arts.

Article 4

Archeology

a) Both Parties shall support cooperation in the field of protection, conservation and promotion of the cultural heritage of both countries.

b) The Parties shall exchange one expert each in the field of protection and conservation of ancient monuments and archaeological sites, art objects and development of archaeological site museums for a two-week period, details of which shall be mutually agreed upon by the Parties through diplomatic channels.

Article 5

Archives

a) The Parties shall promote exchange of information and documentation concerning the history of Suriname in the archives of India and the history of India in the archives of Suriname as well as copies of documents (digital copies) of interest to both Parties in order to replenish in respective collections. Modalities will be worked out through mutual consultations.

b) Both Parties shall exchange experts for a period of one week in each case, in the field of Records Management, Archives Administration and Conservation of Records, digitization and digital preservation of records.

c) The National Archives of India shall provide professional training facilities to officials and students of Suriname in the courses run by the School of Archival Studies. Similarly, the National Archives of Suriname shall provide professional training courses to officials of National Archives of India.

Article 6

Library

a) Both Parties shall exchange publications and other reading materials of mutual interest on reciprocal basis.

b) The Parties shall assist exchange of visits of library experts reciprocally with a view to promote library activities between both the countries. Details shall be finalized through diplomatic channels.

Article 7

Museums

a) The National Museums on both sides shall exchange exhibitions, museum exhibits and museum personnel. Exhibitions may also be organized jointly by the respective museums. Details shall be finalized through diplomatic channels.

b) Exchange of the museum's personals/experts including Curators, Deputy Curators, Research Officer, Assistant Curators, Conservators for a period of four weeks to share the knowledge and expertise in respective fields.

c) Exchange of standard art publications.

Article 8

Literature

a) Both Parties shall exchange a writer's delegation on reciprocal basis. Details of such visits shall be mutually decided by the Parties through diplomatic channels.

b) Both Parties shall promote the translation of literary works of famous writers and poets in both countries.

Article 9

Research and Documentation

Both Parties shall facilitate:

a) Study of the artistic heritage, Folklore/folk traditions and narrative forms.

b) Devising creative activities for cognitive and skill development of the students.

c) Exploring possibilities of developing educational activities at Art Academies, Museums, Cultural Centres and Educational Institutions for children.

d) Development of audio-visual and printed educational materials for students and teachers to have better understanding of tangible and intangible art forms of both the countries.

e) Documentation of the Arts, Museum objects and Production of Cultural Resources of both the countries.

Article 10

Science Museums/Centres

Both Parties shall exchange one senior level Science Communication professional to study science centres / museums & non-formal science education programmes in India & in Suriname. The professional from Suriname will visit India to study NCSM museum/centre programme for identifying and strengthening collaborative avenues for development of interactive science centres & non-formal science learning centres, etc. The duration of the visit will be one week each.

Article 11

Anthropology

Both Parties shall exchange visits of experts in anthropology of different institutes of both countries.

Article 12

Festivals

The Parties shall conduct festivals in each other's country, which shall include the exchange of tours of performing arts groups of multiple participants from each side. The details of these tours and other activities included shall be developed on the basis of reciprocity.

Article 13

Mass Media

a) Both Parties shall exchange programme depicting various facets of life and culture in the two countries through their respective radio and TV organization.

b) Both Parties shall endeavour to strengthen relation between their national broadcasting organizations by exchange of Programmes, professionals and by utilizing training expertise and facilities available in respective country. Details of such exchange will be mutually agreed upon by the Parties through diplomatic channels.

c) Both Parties shall invite each other to its International Film Festivals.

Article 14

Youth Programmes

The Parties shall encourage the exchange of youth programmes, participation in youth festivals in either country, visits of the officials in charge of the Youth Affairs, sharing of experiences, skills, techniques, information and knowledge in the areas of cooperation in youth affairs and participation of youth in seminars and conferences organized in both the countries on youth related issues.

Article 15

General and Financial Provisions

a) Exchange of individuals, delegations, exhibitions:

Every Party shall send to the other Party the bio-data (including languages spoken and proposed itinerary) at least two months in advance of the expected date of visit of the delegation or individuals selected under this Programme and bio-data of performing groups at an exhibition four months in advance. The receiving Party shall inform the other Party about agreeing to receive or postponing the date at least one month in advance.

b) Exchange of exhibitions:

Separate agreement shall be reached between the promoting Party and the receiving Party with regard to exhibition. The sending Party shall inform the receiving country about the technical details of the proposed exhibition. The necessary information for the elaboration of the corresponding catalogue must be sent three months before the inauguration date. The art exhibits must arrive at their destination 15 days before the opening of the exhibition.

c) Exchange of materials:

Each contracting Party shall have the right to use the materials exchanged in the fields of information, Mass Media in its own programmes and such materials should not be given by the receiving Party to a third Party.

d) Finances:

When visiting each other's countries, the sending Party shall provide international travel expenses for representatives of groups, delegations or performing groups, while the receiving Party shall provide boarding, food and internal travel expenses, as well as emergency expenses.

e) One-month duration visits:

The sending Party shall provide international travel expenses in respect of their performing groups and delegation in case of visits for a period not exceeding one month. The receiving Party shall provide hospitality, which includes free boarding and lodging, internal travel expenses and free medical care in case of sudden illness. This is applicable in respect of both the Parties.

Article 16

Miscellaneous

Any dispute between the Parties arising out of the interpretation, application or implementation of this Cultural Exchange Programme shall be settled amicably through consultation or negotiations between the Parties.

The provisons of this Cultural Exchange Programme shall not preclude the Parties from agreeing through the diplomatic channel, on other arrangements which they may deem desirable.

The present Programme is not an international treaty and does not create obligations under international law.

This Programme may be amended at any time by mutual written consent of the Parties by an Exchange of Notes between the Parties through the diplomatic channel.

Either Party may terminate this Programme by giving written notice to the other Party 6 (six) months in advance. The termination of this Programme shall not prejudice the completion

of any on-going programmes and projects under this Cultural Exchange Programme unless the Parties decide otherwise.

The present Programme comes into force from the date of its signature thereof by the Parties and shall remain valid for a period of five years or till a fresh Programme is signed.

In Witness Whereof, the duly authorised representatives of the Parties have signed this Cultural Exchange Programme.

Signed at Paramaribo on the 30th day of August, 2022, in two originals each in the Hindi and English languages, both texts being equally authentic. In case of any divergence in interpretation, the English text shall prevail.

For and on Behalf of the Government of the Republic of India

H.E. Dr. Shankar Balachandran
Ambassador of the Republic of India in Suriname

For and on Behalf of the Government of the Republic of Suriname

H.E. Albert R. Ramdin
Minister of Foreign Affairs, International Business and International Cooperation

भारत गणराज्य की सरकार
तथा
सूरीनाम गणराज्य की सरकार
के बीच

सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम

भारत गणराज्य की सरकार तथा सूरीनाम गणराज्य की सरकार (जिन्हें इसके पश्चात् संयुक्त रूप से "दोनों पक्ष" और पृथक रूप से "पक्ष" कहा गया है) ;

22 सितम्बर, 1992 को पारामारिबो में दोनों पक्षों के बीच हस्ताक्षरित सांस्कृतिक करार के कार्यान्वयन का **स्मरण करते हुए;**

और

इनके बीच सांस्कृतिक संबंधो को प्रगाढ़ बनाने के लिए दोनों पक्षों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को सुदृढ़ करने की **इच्छा से**;

निम्नलिखित पर सहमति हुई है :

अनुच्छेद 1

संगीत और नृत्य

दोनों पक्ष, शास्त्रीय और लोक मंडलियों सहित संगीत और नृत्य मंडलियों और/या व्यक्तिगत रूप से कला प्रस्तुति करने वाले मंच कलाकारों का, प्रत्येक का अधिकतम 10 दिनों की अवधि के लिए आदान-प्रदान करेंगे। ऐसे आदान-प्रदान की तारीखों और अन्य ब्यौरे राजनयिक चैनलों के माध्यम से दोनों पक्ष द्वारा परस्पर सहमति के आधार पर निर्धारित किए जाएंगे।

अनुच्छेद 2

रंगमंच

(क) दोनों पक्ष, परस्पर रूप से सहमत शर्तों पर दोनों देशों में रंगमंच प्रस्तुतियों के आदान-प्रदान और स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय रंगमंच महोत्सवों में सहभागिता को प्रोत्साहित करेंगे और इसे सुविधाजनक बनाएंगे।

(ख) दोनों पक्ष, परस्पर रूप से सहमत शर्तों पर दोनों देशों के बीच पारस्परिक आधार पर रंगमंच संबंधी पत्रिकाओं और प्रकाशनों का आदान-प्रदान करेंगे।

अनुच्छेद 3

कला, प्रदर्शनियां, संगोष्ठियां एवं सम्मेलन

क) दोनों पक्ष, परस्पर रूप से सहमत शर्तों पर पारस्परिक आधार पर दोनों देशों के बीच समकालीन और आधुनिक कला प्रदर्शनियों का आदान-प्रदान करेंगे।

ख) दोनों पक्ष, संस्कृति और कला पर अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठियों, विचार-गोष्ठियों, सम्मेलनों, शिविरों, आवासीय कार्यक्रमों आदि में भाग लेने के लिए दूसरे पक्ष के विशेषज्ञों को आमंत्रित करेंगे।

अनुच्छेद 4

पुरातत्व विज्ञान

(क) दोनों पक्ष, दोनों देशों की सांस्कृतिक विरासत की संरक्षा, संरक्षण और संवर्धन के क्षेत्र में सहयोग का समर्थन करेंगे।

(ख) दोनों पक्ष, दो सप्ताह की अवधि के लिए प्राचीन स्मारकों और पुरातात्विक स्थलों, कला वस्तुओं की संरक्षा और संरक्षण तथा पुरातात्विक स्थल संग्रहालयों के विकास के क्षेत्र में प्रत्येक के लिए एक-एक विशेषज्ञ का आदान-प्रदान करेंगे, जिसके ब्यौरे राजनयिक चैनलों के माध्यम से दोनों पक्ष द्वारा परस्पर रूप से तय किए जाएंगे।

अनुच्छेद 5

अभिलेखागार

(क) दोनों पक्ष, संबंधित संग्रहों में पुन: पूर्ति के लिए भारत के अभिलेखागार में सूरीनाम के इतिहास और सूरीनाम के अभिलेखागार में भारत के इतिहास से संबंधित सूचना और प्रलेखन के साथ-साथ दोनों पक्ष के हितों से संबंधित दस्तावेजों की प्रतियों (डिजिटल प्रतियों) का आदान-प्रदान करेंगे। कार्यविधियां परस्पर परामर्श के माध्यम से तय की जाएंगी।

(ख) दोनों पक्ष, अभिलेख प्रबंधन, अभिलेखागार प्रशासन और अभिलेखों के संरक्षण, अभिलेखों के डिजिटाइजेशन एवं डिजिटल परिरक्षण के क्षेत्र में प्रत्येक मामले में एक सप्ताह की अवधि के लिए विशेषज्ञों का आदान-प्रदान करेंगे।

(ग) भारत का राष्ट्रीय अभिलेखागार अभिलेखीय अध्ययन विद्यालय द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों में सूरीनाम के अधिकारियों और छात्रों को व्यावसायिक प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करेगा। इसी

प्रकार, सूरीनाम का राष्ट्रीय अभिलेखागार भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार के अधिकारियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रदान करेगा।

अनुच्छेद 6

पुस्तकालय

क) दोनों पक्ष, पारस्परिक आधार पर एक-दूसरे के हित के प्रकाशनों और अन्य पठन सामग्रियों का आदान-प्रदान करेंगे।

ख) दोनों पक्ष, दोनों देशों के बीच पुस्तकालय कार्यकलापों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से परस्पर रूप से पुस्तकालय विशेषज्ञों के दौरों के आदान-प्रदान में सहायता करेंगे। ब्यौरों को राजनयिक चैनलों के माध्यम से अंतिम रूप दिया जाएगा।

अनुच्छेद 7

संग्रहालय

क) दोनों पक्षों के राष्ट्रीय संग्रहालय प्रदर्शनियों, संग्रहालय प्रदर्शों तथा संग्रहालय कार्मिकों का आदान-प्रदान करेंगे। संबंधित संग्रहालयों द्वारा संयुक्त रूप से प्रदर्शनियां भी आयोजित की जाएंगी। ब्यौरों को राजनयिक चैनलों के माध्यम से अंतिम रूप दिया जाएगा।

ख) संबंधित क्षेत्रों में ज्ञान और विशेषज्ञता को साझा करने के लिए चार सप्ताह की अवधि के लिए संग्रहाध्यक्षों, उपसंग्रहाध्यक्षों, अनुसंधान अधिकारियों, सहायक संग्रहाध्यक्षों, संरक्षकों सहित संग्रहालय के कार्मिकों/विशेषज्ञों का आदान-प्रदान।

ग) मानक कला प्रकाशनों का आदान-प्रदान।

अनुच्छेद 8

साहित्य

क) दोनों पक्ष, पारस्परिक आधार पर एक लेखक प्रतिनिधिमंडल का आदान-प्रदान करेंगे। ऐसे दौरों के ब्यौरे राजनयिक चैनलों के माध्यम से दोनों पक्ष द्वारा परस्पर रूप से तय किए जाएंगे।

ख) दोनों पक्ष, दोनों देशों के प्रसिद्ध लेखकों और कवियों की साहित्यिक कृतियों के अनुवाद को प्रोत्साहित करेंगे।

अनुच्छेद 9

अनुसंधान और प्रलेखन

दोनों पक्ष निम्नलिखित को सुविधाजनक बनाएंगे :

क) कलात्मक विरासत, लोक साहित्य/लोक परम्परा तथा कथा रूपों का अध्ययन।

ख) छात्रों के ज्ञानात्मक तथा कौशल विकास के लिए रचनात्मक कार्यकलापों को तैयार करना।

ग) बच्चों के लिए कला अकादेमियों, संग्रहालयों, सांस्कृतिक केन्द्रों और शैक्षिक संस्थाओं में शैक्षणिक कार्यकलापों को विकसित करने की संभावनाओं का पता लगाना।

घ) दोनों देशों के मूर्त और अमूर्त कला रूपों की बेहतर समझ के लिए छात्रों और अध्यापकों के लिए श्रव्य-दृश्य तथा मुद्रित शैक्षिक सामग्रियों का विकास करना।

ड.) दोनों देशों की कला, संग्रहालय वस्तुओं का प्रलेखन करना तथा सांस्कृतिक संसाधनों का निर्माण करना।

अनुच्छेद 10

विज्ञान संग्रहालय/केन्द्र

दोनों पक्ष, भारत में और सूरीनाम में विज्ञान केन्द्रों/संग्रहालयों एवं गैर-औपचारिक विज्ञान शिक्षा कार्यक्रमों के अध्ययन के लिए वरिष्ठ स्तर के एक विज्ञान संचार पेशेवर का आदान-प्रदान करेंगे। पारस्परिक सहभागिता विज्ञान केन्द्रों एवं गैर-औपचारिक विज्ञान शिक्षण केन्द्रों आदि के विकास हेतु सहयोगात्मक उपायों की पहचान और सुदृढ़ीकरण के लिए राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद /केन्द्र कार्यक्रम का अध्ययन करने के लिए सूरीनाम से एक पेशेवर भारत का दौरा करेंगे। प्रत्येक के लिए दौरे की अवधि एक सप्ताह होगी।

अनुच्छेद 11

मानवविज्ञान

दोनों पक्ष, दोनों देशों की विभिन्न संस्थाओं के मानवविज्ञान विशेषज्ञों के दौरों का आदान-प्रदान करेंगे।

अनुच्छेद 12

महोत्सव

दोनों पक्ष, एक-दूसरे के देश में महोत्सव आयोजित करेंगे, जिसमें एक-दूसरे पक्ष के विभिन्न भागीदारों के मंचकला समूहों के दौरों का आदान-प्रदान शामिल होगा। शामिल किए गए इन दौरों और अन्य कार्यकलापों के ब्यौरे पारस्परिकता के आधार पर तैयार किए जाएंगे।

अनुच्छेद 13

जन संचार

क) दोनों पक्ष, अपने संबंधित रेडियो और टेलीविजन संगठन के माध्यम से दोनों देशों के जीवन और संस्कृति के विभिन्न पहलुओं का चित्रण करने वाले कार्यक्रमों का आदान-प्रदान करेंगे।

ख) दोनों पक्ष, अपने-अपने संबंधित देश में उपलब्ध प्रशिक्षण विशेषज्ञता तथा उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग करते हुए और कार्यक्रमों, व्यावसायिकों के आदान-प्रदान द्वारा अपने राष्ट्रीय प्रसारण संगठनों के बीच संबंध मजबूत करने के प्रयास करेंगे। ऐसे आदान-प्रदान के ब्यौरे राजनयिक चैनलों के माध्यम से दोनों पक्षों द्वारा परस्पर सहमति से निर्धारित किए जाएंगे।

ग) दोनों पक्ष, अपने-अपने अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सवों में एक-दूसरे को आमंत्रित करेंगे।

अनुच्छेद 14

युवा कार्यक्रम

दोनों पक्ष, युवा कार्यक्रमों का आदान-प्रदान, एक-दूसरे के देश में युवा महोत्सवों में भागीदारी, युवा कार्य के प्रभारी अधिकारियों के दौरे, युवा कार्य में सहयोग के क्षेत्रों में अनुभव, कौशल, तकनीकों, सूचना और ज्ञान के सहभाजन और युवाओं से संबंधित मुद्दों पर दोनों देशों में आयोजित संगोष्ठियों और सम्मेलनों में युवाओं की सहभागिता को बढ़ावा देंगे।

अनुच्छेद 15

सामान्य तथा वित्तीय प्रावधान

क. व्यक्तियों, शिष्टमंडलों, प्रदर्शनियों का आदान-प्रदान :

प्रत्येक पक्ष, इस करार के तहत चुने गए प्रतिनिधिमंडल अथवा व्यक्तियों के दौरे की संभावित तारीख से कम से कम दो माह पूर्व दूसरे पक्ष को जीवन-वृत्त (बोली जाने वाली भाषा तथा प्रस्तावित यात्रा कार्यक्रम सहित) भेजेगा तथा प्रदर्शनी में प्रदर्शन करने वाले मंचकला समूहों का जीवन-वृत्त चार माह अग्रिम में भेजेगा। मेजबान पक्ष, दूसरे पक्ष को कम से कम एक माह पहले उक्त तारीख की स्वीकृति अथवा तारीख आगे बढ़ाने की सूचना देगा।

ख. प्रदर्शनियों का आदान-प्रदान :

प्रदर्शनियों के संबंध में प्रेषक पक्ष और मेज़बान पक्ष के बीच अलग से करार किये जाएंगे। प्रेषक पक्ष प्रस्तावित प्रदर्शनी के तकनीकी विवरण के बारे में मेजबान पक्ष को सूचित करेगा। समरूप सूचीपत्र के विस्तार संबंधी आवश्यक सूचना उदघाटन की तारीख से तीन महीने पहले अवश्य भेजी जानी चाहिए। कला प्रदर्श, प्रदर्शनी शुरू होने से पन्द्रह दिन पहले उनके गंतव्य स्थल तक अवश्य पहुँच जाने चाहिए।

ग. सामग्रियों का आदान-प्रदान :

प्रत्येक संविदाकारी पक्ष को सूचना, जन संचार के क्षेत्रों में आदान-प्रदान की गई सामग्रियों को अपने कार्यक्रमों में उपयोग करने का अधिकार होगा और ऐसी सामग्रियों को मेजबान पक्ष द्वारा किसी तृतीय पक्ष को नहीं दिया जाना चाहिए।

घ. वित्तीय व्यवस्था :

समूहों, प्रतिनिधिमंडलों या मंचकला समूहों के प्रतिनिधियों के एक-दूसरे के देश में दौरे के समय प्रेषक पक्ष अंतरराष्ट्रीय यात्रा व्यय प्रदान करेगा तथा मेजबान पक्ष, आवास, भोजन तथा आंतरिक यात्रा व्यय के साथ-साथ आकस्मिक व्यय वहन करेगा।

ड. एक माह की अवधि के दौरे :

प्रेषक पक्ष, एक माह से अनधिक अवधि के दौरे के मामले में अपने मंचकला समूहों और प्रतिनिधिमंडल से संबंधित अंतरराष्ट्रीय यात्रा व्यय प्रदान करेगा। मेजबान पक्ष, आतिथ्य प्रदान करेगा, जिसमें नि:शुल्क आवास एवं भोजन, आंतरिक यात्रा व्यय और अचानक अस्वस्थता के मामले में नि:शुल्क चिकित्सा देखभाल शामिल हैं। यह दोनों पक्ष पर लागू होगा।

अनुच्छेद 16

विविध

दोनों पक्षों के बीच इस सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम की विवेचना, अनुप्रयोग या कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद का निपटारा दोनों पक्षों के बीच परामर्श या बातचीत के जरिए सौहार्दपूर्ण तरीके से किया जाएगा।

इस सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम के उपबंध दोनों पक्ष को किन्हीं अन्य व्यवस्थाओं पर, जिसे वे वांछित समझें, राजनयिक चैनलों के माध्यम से सहमत होने के लिए प्रतिबंधित नहीं करेंगे।

वर्तमान कार्यक्रम अंतरराष्ट्रीय संधि नहीं है और इससे अंतरराष्ट्रीय कानून के अंतर्गत बाध्यता उत्पन्न नहीं होगी।

इस कार्यक्रम को राजनयिक चैनल के माध्यम से दोनों पक्षों के बीच नोट के आदान-प्रदान के जरिए दोनों पक्षों की पारस्परिक लिखित सहमति के द्वारा किसी भी समय संशोधित किया जा सकता है।

दोनों में से कोई भी पक्ष दूसरे पक्ष को 6 (छः) माह अग्रिम में लिखित नोटिस देकर इस कार्यक्रम को समाप्त कर सकता है। इस कार्यक्रम की समाप्ति से इस सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम के अंतर्गत किसी भी जारी कार्यक्रम और परियोजना के समापन पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा जब तक दोनों पक्ष कोई अन्यथा निर्णय न लें।

वर्तमान कार्यक्रम दोनों पक्ष के प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा इस पर हस्ताक्षर होने की तारीख से प्रभावी होगा और यह पांच वर्ष की अवधि या नए कार्यक्रम पर हस्ताक्षर होने, जो भी पहले हो, तक वैध रहेगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप, अधोहस्ताक्षरी ने, उनकी संबंधित सरकारों द्वारा विधिवत अधिकृत किए जाने पर, इस सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किए हैं।

इस कार्यक्रम पर दिनांक 30 **अगस्त 2022** को **पारामारिबो** में हिंदी और अंग्रेजी भाषा में, प्रत्येक की दो मूल प्रतियों पर हस्ताक्षर किए गए। इसके सभी पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं। निर्वचन में किसी विभेद की स्थिति में, अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

भारत गणराज्य की सरकार के लिए और उसकी ओर से	**सूरीनाम गणराज्य की सरकार के लिए और उसकी ओर से**
(डॉ. शंकर बालाचंद्रन) **सूरीनाम में भारत का राजदूत**	**(अल्बर्ट आर. रामदीन)** **विदेश मामलों, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मंत्री**